न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 370/2016/डिक्री

बाबूलाल पिता कालु बलाई
निवासी नरपत की खेडी तहसील व जिला चित्तौडगढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. कालु पिता रामा बलाई
2. बंसती पुत्री कालु बलाई
3. पप्पुलाल पिता कालु बलाई
   तीनो निवासी नरपत की खेडी तहसील व जिला चित्तौडगढ़
4. मुन्ना पुत्री कालु पत्नि उदयलाल बलाई
   निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. मांगु पिता रूपा बलाई
6. ऊंकार मुत्तबन्ना लाल बलाई
   दोनो निवासी नरपत की खेडी तहसील व जिला चित्तौडगढ़
7. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 18/06/2016 प्रकरण संख्या 09/2016

उपस्थित – 1. श्री बंसतीलाल पोखरना – अभिभाषक अपीलान्टस
2. रेस्पोडेन्ट– अनुपस्थित

निर्णय दिनांक – 14.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का कश्मोर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मे जमाबन्दी (खतोनी) संवत् 2069 से 2070 तक मे कृषि भूमि आराजी नम्बर 735 रकबा 0.91 है0 लगानी 2 रू. 28 पैसा स्थित है जिसके साबिक आराजी नम्बर 575 थे। उक्त आराजी के साबिक सेटलमेन्ट संवत् 2031 से 2034 मे मांगू पिता रूपा 1/3 ऊंकार मुतबन्ना लाला 1/3 एवं रामा एवं केला पिता भेरा बलाई 1/3 हिस्सा बराबर बराबर हो दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि मे रामा पिता भेरा का 1/6 हिस्सा खातेदारी एवं केला पिता भेरा का

1/6 हिस्सा खातेदारी था। केला पिता भेरा के 1/6 हिस्से को केला पिता भेरा के निधन के बाद केला के पुत्र भगवान ने प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया जिससे जमाबन्दी मे प्रतिवादी संख्या 1 कालु पिता रामा का 1/3 हिस्सा अंकित हुआ। उक्त वर्णित कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कालु पिता रामा का 1/6 हिस्सा पैतृक है। जो कालु पिता रामा को रामा के निधन के कारण विरासत से प्राप्त हुआ था। अपीलान्ट/वादी बाबुलाल कालु का पुत्र होने के नाते कालु के 1/6 हिस्से मे वादी/अपीलान्ट का हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार 1/30 हक हिस्सा खातेदारी विधि अनुसार है इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कालु ने उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे अपने सम्पूर्ण हिस्से को दिनांक 16/11/2009 को पंजीकृत दान पत्र के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दान कर दिया जो वादी के हिस्से व अधिकार व अधिकार के मुकाबले शून्य व अप्रभावी है इसलिये अपीलान्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर यह घोषणात्मक डिक्री चाही कि उपरोक्त वर्णित आराजीया तमे अपीलान्ट/वादी का 1/30 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाए एवं रेस्पोडेन्टस को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात को अन्य को हस्तान्तरित नही करे।

2. वाद मे वर्णित अभिवचनो को देखते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद पैतृक कृषि भूमि मे पैदाईशी हक अधिकार व हिस्से के आधार पर वैधानिक रूप से हिस्सा खातेदारी 1/30 होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कालु जो कि वादी का पिता है के द्वारा पैतृक आराजीयात को सम्पूर्ण हिस्सा जिसमे अपीलान्ट/वादी का हिस्सा भी समाहित है को दान पत्र के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कोू दान कर दिया जो अपीलान्ट/वादी के हक अधिकार व हिस्से खातेदारी पर पूर्णतः शून्य होकर निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार शिविर कश्मोर मे दोनो पक्षकारो की अनुपस्थिति मे बिना किसी पक्ष को सुने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध एवं विधि के विरूद्ध इस आधार पर अपीलान्ट/वादी के वाद को निरस्त कर दिया कि प्रकरण मे रजिस्टर्ड दस्तावेज मे भूमि स्थानान्तरित हुई है ासिविल न्यायालय मे दस्तावेज निरस्तीकरण हेतु वाद संस्थित किया जा सकता है। इसलिये वाद खारीज किया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08/06/2016 वाद संख्या 9/2016 निरस्त फरमाया जाए एवं वादी/अपीलान्ट का वाद वाद मे वर्णित तथ्यानुसार डिक्री फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि मुख्य रूप से उन्ही तथ्यो का उल्लेख किया है जो अपील मे वर्णित है तथा मांग की है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। वाद वादीगण अपीलान्ट के कथनानुसार डिक्री किया गया। रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की गई।

4. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो एवं रिकार्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 09/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 18/06/2016 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण उभयपक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़